पत्र सं0- एडी0कमि0(पुलिस)/ पु0 बल वर्दी भत्ता / 2021-22/ 623 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक::लखनऊ:: 20 फरवरी,2022

समस्त,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या- 12/2018/439/6-पु-1-18-254/2017 गृह(पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01-01-2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुसार पुलिस विभाग में हेड कान्सटेबल / कान्सटेबल / समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रतिवर्ष वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता / वर्दी भत्ता दिया जाता है, परन्तु वाणिज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को अब तक वर्दी भत्ता नहीं दिया जा रहा था, जबकि पद सृजन आदेशों में समस्त अनुमन्य देय भत्तों को नियमानुसार प्रदान करने का उल्लेख किया गया है।

वाणिज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश से अभिमत / मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दिये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। अतएव पुलिस विभाग की भाँति वाणिज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को भी देय वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता नियमाानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उन्हें उनके मूल विभाग से उस वर्ष के लिए वर्दी भत्ता दिया गया है अथवा नहीं। तद्नुसार सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) / आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर वर्दी भत्ता दिये जाने का आदेश जारी कर उसकी सूचना पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकित करने के साथ ही आदेश की प्रति उनके मूल विभाग के पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(प्रकाश स्वरुप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
एडीशनल कमिश्नर(पुलिस) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत समस्त पुलिस कर्मियों की जोनवार (संख्या) सूची इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची के अनुसार सम्बन्धित को बजट आवंटित करने का कष्ट करें **(संलग्नक)**।
3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

20/02/2022

एडीशनल कमिश्नर(पुलिस) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3682
07/1/19

स्पीड पो०

फैक्स

संख्याः 12/2018/4397/6-पु-1-18-254/2017

(111)

सम्प्रति-II

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उ० प्र० पुलिस मुख्यालय 07 JAN 2019 प्रयागराज

अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज
7/1/2019

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 01 जनवरी, 2019

विषयः-पुलिस विभाग के हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल/समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्तमान देय वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता/वर्दी भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः दो-40(वर्दी भत्ता)-2016 दिनांक 11.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पुलिस विभाग के हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल/समतुल्य पद एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्तमान में देय वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता/वर्दी भत्ता में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्दी नवीनीकरण भत्ते की दिनांक 03 अगस्त, 2016 से लागू दरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें (रू0 प्रतिवर्ष)	पुनरीक्षित दरें (रू0 प्रतिवर्ष)
1	पुलिस बल के समस्त हेड कांस्टेबल/समतुल्य पद एवं कांस्टेबल / समतुल्य पद	2250	3000
2	समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1500	2000

3- इस सम्बन्ध मे आने वाला व्यय अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर" की सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः जी-1-399वृ0ओ0/दस-2018 दिनांक 24 दिसम्बर 2018 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

Sr Sachin

08/1/19

5- उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्याः 12/2018/4397(1)/6-पु-1-18-254/2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/ऑडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज.।
(2) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)
(4) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(6) गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम लाल यादव)
विशेष सचिव

11